न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
58/2024	14.05.2024	28/5/2025

1. रामखिलाडी सैनी पुत्र सोहनलाल उर्फ सोनपाल, माली निवासी महुकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
2. रामस्वरूप सैनी पुत्र सोहनलाल उर्फ़ सोनपाल, माली निवासी महुकलॉ तह0 गंगापुर सिटी ---प्रार्थीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
2. पी.डब्ल्यू.डी. (सार्वजनिक निर्माण विभाग) जरिए अधिशाषी अभियंता, बजरिया गंगापुर सिटी ---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री महेश चंद अग्रवाल, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम चूली मे प्रार्थीगण के पिता सोहनलाल उर्फ सोनपाल पुत्र पप्पू माली के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि साबिक ख0न0 854 रकबा 11 बिस्वा स्थित रही है। प्रार्थीगण के पिता जीवनपर्यन्त इस भूमि को काबिज रहकर काश्त करते रहे है। इस भूमि के पास ही साबिक ख0न0 584 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्थित रहा है। भूप्रबन्ध मे साबिक ख0न0 854 व साबिक ख0न0 784 का हाल खसरा नम्बर 1173 रकबा 0.41 है0 व 1174 रकबा 0.42 है0 बनाया है एवं प्रार्थीगण की भूमि को खसरा नम्बर 1174 रकबा 42 एयर गैर मुमकिन सडक मे शामिल कर दिया गया है एवं इसे सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया है। मौके पर प्रार्थीगण साबिक ख0न0 854 रकबा 11 बिस्वा के नवीन रकबा ... एयर भूमि पर पूर्वानुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। इस भूमि ... प्रार्थीगण ने कृषि सुधार हेतु दो दो गेह पाटौर चढा रखे है। भूप्रबन्ध वि... को प्रार्थीगण की भूमि गैर मुमकिन रास्ते मे शामिल करके सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज करने का कोई अधिकार नही था। दिनांक 30.4.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिनिधि ने प्रार्थीगण को धमकी दी है कि भूमि गैर मुमकिन सडक मे दर्ज है

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:21 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

4

इसलिए भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने की कार्यवाही की जावेगी। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वादपत्र इस आशय से पाबंद किया जावे कि वे भूमि खसार नम्बर 1174 रकबा 0.42 है0 ग्राम चूली मे शामिल प्रार्थीगण के रकबा 14 एयर जानिब दिशा उत्तर मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे तथा प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल नही करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि उपस्थित हुए परन्तु उनके ओर से कोई जबाव प्रस्तुत नही किया गया।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 732, फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2026–29, फोटोकॉपी नकल खतौनी जमाबंदी संवत 2039, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किये है।

अप्रार्थीगण की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं हुआ है एवं कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं हुआ है।

बहस विद्धान अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्धान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरुप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थीगण की भूमि साबिक ख0न0 854 रकबा 11 बिस्वा का भूप्रबन्ध के दौरान पृथक से कोई नम्बर नही बनाकर प्रार्थीगण के नाम दर्ज नही किया गया है [illegible] प्रार्थीगण के इस खसरा नम्बर के रकबे को हाल खसरा नम्बर 1174 रकबा [illegible] मे शामिल कर इसे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे अंकित कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया है जबकि मौके पर प्रार्थीगण पूर्वानुसार 14 एयर रकबे पर काबिज है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03.21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.42 है0 गैर मुमकिन सड़क के नाम से सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण ने इसमे 14 एयर भूमि पर अपना कब्जा होना अंकित किया है परन्तु कब्जे के समर्थन मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। प्रार्थीगण की भूमि गैरमुमकिन रास्ते की भूमि मे भूप्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से शामिल कर दी गई है। इस तथ्य का निर्धारण मूल वाद मे विस्तृत साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत होने के बाद होना है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मे मूल रूप से कब्जे को देखा जाता है तथा प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा प्रमाणित करने मे असफल रहे है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 28.5.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज०) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:21 IST
Reason: SelfAttested